



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 11, बुधवार, शाके 1937-अप्रैल 1, 2015
Chaitra 11, Wednesday, Saka 1937-April 1, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 1, 2015

संख्या प. 2 (24) विधि/2/2015-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 6)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2015 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 7, 8, 12 और 13 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 24 में,-

- (i) उप-धारा (5) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (5) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (6) के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
"परन्तु वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण 30.06.2015 तक किया जायेगा।"

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में धारा 80क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 80 के पश्चात् और विद्यमान धारा 81 के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"80क. कतिपय व्यक्तियों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व.- (1) कोई व्यक्ति जो-

- (i) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राजस्थान राज्य के भीतर विक्रय या क्रय करता है, या विक्रय या क्रय का इस प्रकार प्रस्ताव करता है जिससे कि वह राजस्थान राज्य के भीतर पहुंच में हो, दृष्टिगत हो या सुना जा सके; या

(ii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राजस्थान राज्य के भीतर किये गये विक्रय या क्रय के अनुसरण में माल का परिवहन करता है, उसे परिवहन के लिए प्राप्त करता है या उसका परिदान करता है; या

(iii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राजस्थान राज्य के भीतर विक्रीत या क्रय किये गये माल के संबंध में, चाहे स्वयं के लिए या विक्रेता या क्रेता के निमित्त, कोई रकम प्राप्त करता है,

ऐसी सूचना, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी रीति से, और ऐसे समय के भीतर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जैसाकि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाये, प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित कालावधि के भीतर-भीतर सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह शास्ति के रूप में एक लाख रुपये से अनधिक की राशि संदत्त करने का, और निरंतर व्यतिक्रम के मामले में ऐसी निरंतरता के प्रत्येक दिवस के लिए एक हजार रुपये की और शास्ति संदत्त करने का, भागी होगा।"।

अध्याय 3

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 12 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1)(क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निर्धारण करेगा और ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो, विहित किया जाये, और विवरणी को विलम्ब से दिये जाने के लिए पचास हजार रुपये से

अनधिक की यथाविहित विलम्ब फीस के साथ, निर्धारण प्राधिकारी को या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी देगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यवहारी, जिससे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसा करने की नोटिस द्वारा अपेक्षा की जाये, विवरणी, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, देगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां आयुक्त की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विवरणियां प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा सकेगा या व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा कोई भी या समस्त विवरणियां फाइल करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा।"।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 में,-

- (i) उप-धारा (1) का विद्यमान खण्ड (क) हटाया जायेगा;
- (ii) उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
"(क) जान-बूझकर असत्य विवरणी प्रस्तुत करता है; या"।

अध्याय 4

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

7. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) में,-

- (i) खण्ड (झ) में विद्यमान अभिव्यक्ति "मनोरंजन," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अतिरिक्त बिस्तर"

के पूर्व अभिव्यक्ति "स्पा, मालिश," अंतःस्थापित की जायेगी; और

- (ii) विद्यमान खण्ड (ज) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ट) के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(अक) "विवाह हॉल" से कोई होटल अभिप्रेत है, जिसमें साधारणतया विवाह से संबंधित उत्सव आयोजित करने के प्रयोजन के लिए कोई निवास स्थान या स्थान कारबार के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है;"।

8. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में धारा 4क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4क. कर के बदले एकमुश्त राशि का संदाय.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार, ऐसे विवाह हॉल में उपलब्ध करवाये गये विलासों के संबंध में, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, कर का संदाय एकमुश्त राशि में किये जाने के विकल्प का उपबंध कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट एकमुश्त राशि में कर धारा 4 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित अधिकतम कर दायित्व की सीमा से अधिक नहीं होगा।"

9. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होटलवाला इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निर्धारण करेगा और ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो, विहित किया जाये, और विवरणी को विलम्ब से दिये जाने के लिए पचास हजार रुपये से अनधिक की यथाविहित

विलम्ब फीस के साथ, विलास कर अधिकारी को या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी देगा।"।

10. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 की विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 में संशोधन

11. 2004 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक रुपया" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की अनुसूची में,-

- (i) अनुच्छेद 3 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) अनुच्छेद 4 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.1

प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (v) विद्यमान अनुच्छेद 13 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 14 के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"13-क. बैंक गारंटी, अर्थात् किसी अधिकतम 25000/- संविदा के सम्यक् पालन रुपये के अध्यक्षीन या किसी दायित्व के रहते हुए, प्रतिभूत सम्यक् निर्वहन को रकम का 0.25 प्रतिभूत करने के लिए प्रतिशत।";
किसी बैंक द्वारा प्रतिभू के रूप में निष्पादित गारंटी विलेख।

- (vi) विद्यमान अनुच्छेद 35 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 36 के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"35-क. आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति, अर्थात् आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) के उपबंधों के अधीन आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्षित करने वाला दस्तावेज,-

(क) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति:-

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (i) रिवाल्वर या पिस्तौल | तीन हजार रुपये। |
| (ii) राइफल | एक हजार पांच सौ रुपये। |

- (iii) डी.बी.बी.एल. शस्त्र एक हजार रुपये।
 (iv) एस.बी.बी.एल. शस्त्र एक हजार रुपये।
 (v) एम.एल. शस्त्र पांच सौ रुपये।
- (ख) आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति:-
- (i) प्ररूप 11 दस हजार रुपये।
 (ii) प्ररूप 12 दस हजार रुपये।
 (iii) प्ररूप 13 पांच हजार रुपये।
 (iv) प्ररूप 14 तीन हजार रुपये।
- (ग) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-
- (i) रिवाल्वर या पिस्तौल एक हजार रुपये।
 (ii) राइफल सात सौ पचास रुपये।
 (iii) डी.बी.बी.एल. शस्त्र पांच सौ रुपये।
 (iv) एस.बी.बी.एल. शस्त्र पांच सौ रुपये।
 (v) एम.एल. शस्त्र एक सौ रुपये।
- (घ) आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 3 में यथा उपवर्णित निम्नलिखित प्ररूपों पर, आयुधों या गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण:-
- (i) प्ररूप 11 तीन हजार रुपये।
 (ii) प्ररूप 12 तीन हजार रुपये।
 (iii) प्ररूप 13 दो हजार रुपये।
 (iv) प्ररूप 14 एक हजार रुपये।";

- (vii) अनुच्छेद 44 के खण्ड (क) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (viii) अनुच्छेद 44 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ix) अनुच्छेद 44 के खण्ड (ग) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (x) अनुच्छेद 44 के खण्ड (घ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (xi) अनुच्छेद 48 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) जहां निर्मुक्ति विलेख कुटुम्ब के किसी सदस्य के द्वारा या पक्ष में निष्पादित किया गया हो। पांच सौ रुपये।

स्पष्टीकरण.-कुटुम्ब के सदस्य" से पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई, बहिन, पूर्वमृत भाई की पत्नी या संतानें, पूर्वमृत बहिन का पति या संतानें, पूर्वमृत पुत्र की पत्नी और पूर्वमृत पुत्र या पूर्वमृत पुत्री की संतानें अभिप्रेत हैं।"

अध्याय 7

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 में संशोधन

13. 2014 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 56 का संशोधन.- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 14) की धारा 56 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट करे," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर," के पूर्व अभिव्यक्ति "ऐसे व्यवहारी द्वारा" अन्तःस्थापित की जायेगी।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2015

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of Rajasthan Vitt Adhinyam, 2015(2015 Ka Adhinyam Sankhyank 6):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2015

(Act No. 6 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 1st day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Finance Act, 2014 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2015-16 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2015.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 7, 8, 12 and 13 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 24 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of sub-section (5), the punctuation mark “:” shall be substituted;
- (ii) after the sub-section (5), so amended, and before the existing sub-section (6), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the assessment for the year 2012-13 shall be made upto 30.06.2015.”.

4. Insertion of section 80A, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing section 80 and before the existing section 81 of the principal Act, the following shall be inserted, namely.-

“80A. Liability to furnish information by certain persons.- (1) Any person who-

- (i) effects sale or purchase within the State of Rajasthan, or places offer for sale or purchase so as to be accessible, visible or audible within the State of Rajasthan, through electronic media; or
- (ii) transports, receives for transportation or delivers goods in pursuance of sale or purchase effected within the State of Rajasthan through electronic media; or
- (iii) receives any amount in connection with the goods sold or purchased within the State of Rajasthan through electronic media, whether for himself or on behalf of the seller or purchaser,

shall furnish or cause to be furnished, such information, for such period, in such manner, and within such time, to such officer or authority, as may be notified by the Commissioner.

(2) Any person who fails to furnish information within the period notified under sub-section (1) shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding rupees one lac, and in case of a continuing default, a further penalty of rupees one thousand for every day of such continuance.”.

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

5. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- For the existing sub-sections (1) and (2) of section 12 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1)(a) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee, not exceeding fifty

thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.

- (b) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the Commissioner is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, he may, by a notification in the Official Gazette, extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.”.

6. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In section 35 of the principal Act,-

- (i) the existing clause (a) of sub-section (1) shall be deleted;
- (ii) for the existing clause (a) of sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-
- “(a) wilfully submits an untrue return; or”.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

7. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in clause (i), after the existing expression “entertainment,” and before the existing expression “extra beds”, the expression “spa, massage,” shall be inserted; and

- (ii) after the existing clause (j) and before the existing clause (k), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ja) "marriage hall" means a hotel, where a residential accommodation or a space is provided by way of business generally for the purpose of organising functions related to marriage;”.

8. Insertion of section 4A, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-

After the existing section 4 and before the existing section 5 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“4A. Payment of lump sum in lieu of tax.- (1)

Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may provide an option for payment of tax in a lump sum in respect of luxuries provided in such marriage hall on such terms and conditions as may be notified by the State Government.

(2) The tax in lump sum specified in sub-section (1) shall not exceed the limit of maximum tax liability as provided in sub-section (1) of section 4.”.

9. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- For the existing sub-section (1) of section 16 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Every registered hotelier shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee, not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the Luxury Tax Officer or to the officer authorized by the Commissioner.”.

10. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- The existing sub-section (2) of section 21 of the principal Act, shall be deleted.

CHAPTER V

**AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STATE ROAD
DEVELOPMENT FUND ACT, 2004**

11. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 13 of 2004.- In sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004 (Act No. 13 of 2004), for the existing expression “one rupee”, the expression “three rupees” shall be substituted.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

12. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999),-

- (i) in Article 3, for the existing expression “One hundred rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “Three hundred rupees.” shall be substituted;
- (ii) in Article 4, for the existing expression “Ten rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “Twenty rupees.” shall be substituted;
- (iii) in clause (d) of Article 5, for the existing expression “0.1 % of the amount of loan or debt.”, appearing under Column No. 2, the expression “0.15 % of the amount of loan or debt.” shall be substituted;
- (iv) in clause (a) of Article 6 , for the existing expression “0.1 percent of the amount of loan or debt.”, appearing under Column No. 2, the expression “0.15 percent of the amount of loan or debt.” shall be substituted;
- (v) after the existing Article 13 and before the existing Article 14, the following shall be inserted, namely:-

“13-A. Bank Guarantee, 0.25 percent of

that is to say, the amount
guarantee deed secured subject
executed by a bank to maximum of
as a surety to secure rupees 25000/-.”;

the due performance
of a contract or the
due discharge of a
liability.

- (vi) after the existing Article 35 and before the existing Article 36, the following shall be inserted, namely:-

“**35-A. Licence** relating
to arms or
ammunitions, that
is to say,
document
evidencing the
licence or renewal
of licence relating
to arms or
ammunitions
under the
provisions of the
Arms Act, 1959
(Central Act No.
54 of 1959),-

- (a) Licence
relating to
following
arms:-

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (i) Revolvers
or pistols | Three thousand
rupees. |
| (ii) Rifles | One thousand
five hundred |

	rupees.
(iii) DBBL Weapons	One thousand rupees.
(iv) SBBL Weapons	One thousand rupees.
(v) ML Weapons	Five hundred rupees.
(b) Licence relating to arms or ammunitions on following Forms as set out in Schedule III to the Arms Rules, 1962:-	
(i) Form XI	Ten thousand rupees.
(ii) Form XII	Ten thousand rupees.
(iii) Form XIII	Five thousand rupees.
(iv) Form XIV	Three thousand rupees.
(c) Renewal of licence relating to following arms:-	
(i) Revolvers or pistols	One thousand rupees.
(ii) Rifles	Seven hundred fifty rupees.
(iii) DBBL Weapons	Five hundred rupees.
(iv) SBBL	Five hundred

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| | Weapons | rupees. |
| | (v)ML | One hundred |
| | Weapons | rupees. |
| (d) | Renewal of
licence relating
to arms or
ammunitions
on following
Forms as set
out in Schedule
III to the Arms
Rules, 1962:- | |
| | (i) Form XI | Three thousand
rupees. |
| | (ii) Form XII | Three thousand
rupees. |
| | (iii) Form XIII | Two thousand
rupees. |
| | (iv) Form XIV | One thousand
rupees.”; |
- (vii) in clause (a) of Article 44, for the existing expression “Fifty rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “One hundred rupees.” shall be substituted;
- (viii) in clause (b) of Article 44, for the existing expression “Fifty rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “One hundred rupees.” shall be substituted;
- (ix) in clause (c) of Article 44, for the existing expression “One hundred rupees.”, appearing under Column No. 2, the expression “Two hundred rupees.” shall be substituted;
- (x) in clause (d) of Article 44, for the existing expression “One hundred rupees.”, appearing

- under Column No. 2, the expression “Two hundred rupees.” shall be substituted; and
- (xi) for the existing clause (a) of Article 48, the following shall be substituted, namely:-

“(a) where the release deed is executed by or in favour of a family member. Five hundred rupees.

Explanation.-

“family member” means husband, wife, son, daughter, father, mother, brother, sister, wife or children of predeceased brother, husband or children of predeceased sister, wife of a predeceased son and children of a predeceased son or predeceased daughter.”.

CHAPTER VII

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2014

13. Amendment of section 56, Rajasthan Act No. 14 of 2014.- In sub-section (1) of section 56 of the Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No. 14 of 2014), after the existing expression “purchase of such goods” and before the existing expression “, at such rates”, the expression “by such dealer” shall be inserted.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

19

Government Central Press, Jaipur.